प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्श 2013 प्र.सू.रि.स 12 दिनांक 12.06.13

2.अधिनियम पी0सी0 एक्ट धाराएं 7/49/88 पी0सी0 एक्ट

3.(क) घटना का दिन बुधवार दिनांक दिनांक 12.06.13

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 12.06.13 समय 04.35 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविश्टि संख्या) 11 समय 04.40 पी0एम0

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) स्पैषल मैसंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) जानिब–पूर्व– लगभग 50 कि0 मी0

(ख) पता :– थाने का नाम :– षहर बल्लभगढ जिला फरीदाबाद।

6. (षिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :– महेष कुमार सपुत्र श्री चान्दरूप यादव।

(क) नाम : महेष कुमार

(ख) (पिता/पति का नाम) श्री चान्दरूप यादव

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राश्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) महनत, महदूरी (पता) गांव चन्दावली, बल्लभगढ (फरीदाबाद)

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

अशोक खत्री जे.ई
बिजजी विभाग बल्लभगढ, फरीदाबाद।

इस समय तक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री कृश्ण कुमार निरीक्षक, रा0चौ0ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी, अब बल्लभगढ, बदस्त सि0 रविन्द्र कुमार 1329/गुडगांव, बराय कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई है। जिसका विशय इस प्रकार से है। सेवा में एस.पी. सहाब जी, विजिलैसं विभाग गुडगांव, श्रीमान जी, मै महेष कुमार यादव सपुत्र श्री चॉदरूप यादव गांव चन्दावली, बल्लभगढ फरीदाबाद का रहने वाला हूॅ। मैने गांव चन्दावली में एक आर.ओ का पलान्ट लगाया है। उसके बिजली के कनैक्सन के आई.पी का 10 के.वी.ए के कनैक्सन की आवष्यकता है। जिसके लिए मै अषोक खत्री जे.ई के पास गया तो उसने मेरे से कहा कि

कनैक्सन के कागज तैयार करके मेरे दे जाना मै आपका जल्दी कनैक्सन करीवा दूगां। जिसकी फीस 25000/–रू लगेगी। मै बिजली कनैक्सन के लिए सभी कागजात व 15000/–रू जे.ई अषोक खत्री को दे दिया था। अब वह 10,000/–रू की और मांग कर रहा है। मैने अपने लेवल पर इधर – उधर से पता किया तो मुझे मालूम हुआ किइस कनैक्सन के लिए सरकारी फीस 12000/–रू ही है, तो मैने जे.ई से कहा कि सरकारी फीस तो 12000/–रू बनती है और मै आपकी 15000/–रू दे चुका हूॅ। फिर आप 10,000/–रू किस नाम के मांग रहे हो, तो उसने कहा कि अगर कनैक्सन जल्दी लगवाना है तो 10,000/–रू दे दो नही तो 2/3 साल ऐसे ही घुमना पडेगा। अब मै काफी बार जे.ई के चक्कर काट चुका हूॅ। वह ना तो मेरी फाईल को जमा कर रहा है। यह कहता है कि ये 10,000/–रू और दे दो। मै आपका कनैक्सन करा दूगां। मै रिष्वत देना नही चाहता और जे.ई अषोक खत्री बगैर रिष्वत लिए मेरी फाईल जमा नही करेगा तथा मेरा बिजली का कनैक्सन नही होने देगा। इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। प्रार्थी हस्ता अग्रेंजी महेष कुमार यादव। कार्यवाही पुलिस :– मन निरीक्षक मय ए.एस.आई गजराज सिंह न0 275/गुडगांव, ए.एस.आई महाबीर सिंह 4/31, सि0 रविन्द्र कुमार 1329/गुडगांव बा सवारी गाडी सरकारी न0 एच.आर–55जी/0234 मय चालक इ.एस.आई कृश्ण कुमार 438/नारनौल के बराय कार सरकार बस स्टैण्ड बल्लभगढ पर मौजूद हूॅ कि इसी समय श्री महेष कुमार यादव सपुत्र श्री चान्दरूप यादव निवासी चन्दावली, बल्लभगढ फरीदाबाद मुखातिब हुआ है। जिसने एक दरखास्त मन निरीक्षक को मार्क षुदा पुलिस अधीक्षक महोद्य रा0चौ0ब्यूरो गुडगांव द्वारा पेष की है, जो दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7 पी.सी एक्ट का सरजद होना पाया जाता है, जो दरखास्त पर पृश्ठांकित करके बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 रविन्द्र कुमार 1329/गुडगांव के अरसाल थाना है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित करें। बाद कायमी मुकदमा स्पैषल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट सहाब व अफसरान बाला को भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय हमराही मुलाजमान के बा स्वारी गाडी सरकारी मय मुदई के बराय लेने अनुमति रैड व नियुक्ति करवाने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रवाना उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद का होता हूॅ। हस्ता :– अग्रेंजी कृश्ण कुमार रा0चौ0ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी दिनांक 12.06.2013 एट 2. पी.एम अज बस स्टैण्ड बल्लबगढ। अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। एफ. आई आर की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो अफसरान बाला को भिजवाई जायेगी। एक पर्त एफ.आई.आर सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट सहाब बदस्त आरिन्दा सिपाही रविन्द्र कुमार न0 1329/गुडगांव भेजी जा रही है। असल मिषल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुचाने हेतु इसी सिपाही के हवाले की गई।

हस्ता : अग्रेजी जगत सिंह

थाना प्रभारी का नाम

नाम : जगत सिंह
पद : निरीक्षक
सख्यां : एच0ए0पी0 / 15
दिनांक 12.06.2013 समय 6.30 पी0एम0